सं० ओ० वि०/पानी/123-87/43584.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैनेजिंग डायरैक्टर, दी पानीपत सहकारी चीनी मिल लि० (डिस्टलरी यूनिट), पानीपत, के श्रमिक श्री जगना, पुत्र भरतू, गांव जलालपुर, तहसील पानीपत, जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उस से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री जगना की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानी/126-87/43591.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरैक्टर, दी पानीपत को-ओपरेटिव शूगर मिल्ज लि० (डिस्टलरी यूनिट), पानीपत के श्रमिक श्री सुरजीत सिंह, पुत्र श्री टेका, गांव जलालपुर, तह० पानीपत, जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सुरजीत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/पानी/127-87/43598.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैनेजिंग डायरैक्टर, दी पानीपत को-ओपरेटिव शूगर मिल्ज लि० (डिस्टलरी यूनिट), पानीपत के श्रमिक श्री बारू राम, पुत्र श्री दिवाना, मार्फत भारतीय मजदूर संघ, पानीपत, जिला करनाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बारू राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संख्या ओ० वि०/गुड़गांव/264-87/43626.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ऊषा इन्जिनियरिंग वर्क्स, प्लाट नं० 348, महरौली रोड़, गुड़गांव के श्रमिक श्री अरुण चौधरी, मार्फत श्री भीम सिंह यादव, मकान नं० 192, सैक्टर 15, एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल उस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या श्री शरण चौधरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ० वि०/एफडी/263-87/43633.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ऊषा इन्जिनियरिंग वर्कस, प्लाट नं० 348, महरौली रोड, गुड़गांव, के श्रमिक श्री परमहंस, मार्फत श्री भीम सिंह यादव, मकान नं 192, सैक्टर 15, एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री परमहंस की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/265-87/43640.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० ऊषा इन्जीनियरिंग वर्कस, प्लाट नं० 348, मेहरौली रोड, गुड़गांव, की श्रमिक श्रीमती प्रीति देवी मार्फत भीम सिंह यादव, मकान नं० 192, सैक्टर 15, एन.आई.टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास मे देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्रीमती प्रीति देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/गुड़गांव/263-87/43647.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ऊषा इन्जीनियरिंग वर्कस, प्लाट नं० 348, मेहरौली रोड़, गुड़गांव, की श्रमिक श्रीमती कुन्ती देवी मार्फत श्री भीम सिंह यादव, मकान नं० 192, सैक्टर 15, एन०आई०टी०, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रीमती कुन्ती देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है